Original Article
ISSN (Online): 2582-7472

ShodhKosh: Journal of Visual and Performing Arts
January-June 2024 5(1), 711–716

पंचायती राज एवं महिला सशक्तिकरण: हरियाणा के जींद जिले का एक समाजशास्त्रीय अध्ययन

संदीप कुमार[1], जोगिंदर[2], नवीन मलिक[3], कुलवीर सिंह[4]

[1] समाजशास्त्र विभाग, कुरुक्षेत्र विश्वविधालय, कुरुक्षेत्र (हरियाणा)
[2] सहायक प्रोफेसर, समाजशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय, रायपुरानी, पंचकुला (हरियाणा)
[3] सहायक प्रोफेसर, समाजशास्त्र, राजकीय महिला महाविद्यालय,सेक्टर -14,, पंचकुला (हरियाणा)
[4] शोधार्थी, समाजशास्त्र विभाग, कुरुक्षेत्र विश्वविधालय, कुरुक्षेत्र (हरियाणा)

ABSTRACT

पंचायती राज प्रणाली भारतीय लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण आधार है, जो ग्रामीण विकास और शासन में जनभागीदारी को बढ़ावा देता है। यह अध्ययन हरियाणा के जींद जिले के 10 गांवों में पंचायती राज के माध्यम से महिला सशक्तिकरण की स्थिति का समाजशास्त्रीय विश्लेषण प्रस्तुत करता है। अध्ययन का उद्देश्य यह समझना है कि पंचायतों में महिला प्रतिनिधित्व ने उनकी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति को किस हद तक प्रभावित किया है। चयनित गांवों में महिला सरपंचों और पंचों के अनुभव, उनके सामने आने वाली चुनौतियां, और उनके योगदान का अध्ययन किया गया। इसके लिए साक्षात्कार और क्षेत्रीय अवलोकन जैसे शोध उपकरणों का उपयोग किया गया। परिणाम बताते हैं कि महिला आरक्षण ने महिलाओं को पंचायतों में प्रवेश दिलाया है, लेकिन पितृसत्तात्मक सोच, शिक्षा का अभाव और सामाजिक दबाव अब भी उनकी प्रभावशीलता को सीमित करते हैं। हालांकि, कई महिला प्रतिनिधि अपनी भूमिकाओं के प्रति जागरूक हो रही हैं और निर्णय लेने की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी कर रही हैं। अध्ययन का निष्कर्ष है कि पंचायती राज ने महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, लेकिन इसे और प्रभावी बनाने के लिए नीतिगत सुधार, प्रशिक्षण कार्यक्रम और जागरूकता अभियानों की आवश्यकता है। ग्रामीण स्तर पर लिंग आधारित असमानताओं को समाप्त करने और महिलाओं को सशक्त नागरिक बनाने के लिए यह आवश्यक है कि सामुदायिक और सरकारी प्रयासों को और मजबूत किया जाए।.

Keywords: पंचायती राज, महिला सशक्तिकरण, आरक्षण, जागरूकता

Corresponding Author
संदीप कुमार,
deepsinhmar619@gmail.com

DOI
10.29121/shodhkosh.v5.i1.2024.3727

Funding: This research received no specific grant from any funding agency in the public, commercial, or not-for-profit sectors.

Copyright: © 2024 The Author(s). This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

With the license CC-BY, authors retain the copyright, allowing anyone to download, reuse, re-print, modify, distribute, and/or copy their contribution. The work must be properly attributed to its author.

OPEN ACCESS

सशक्तिकरण

"सशक्तीकरण" का शाब्दिक अर्थ शक्ति या सत्ताधिकार संपन्न बनाना है। इस तरह सशक्तीकरण का सीधा मतलब किसी को सत्ताधिकार संपन्न बनाने का काम है। सशक्तिकरण लोगों और समुदायों में स्वायत्तता और आत्मनिर्णय के स्तर को बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किए गए उपायों का एक तरीका है, ताकि वे अपने स्वयं के अधिकार पर कार्य करने के लिए एक जिम्मेदार और स्व-निर्धारित तरीके से अपने हितों का प्रतिनिधित्व कर सकें। किसी व्यक्ति, समुदाय या संगठन की आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षिक, लैंगिक, या आध्यात्मिक शक्ति में सुधार को सशक्तिकरण कहा जाता है। सशक्तिकरण अभियान के रूप में आत्म-सशक्तिकरण की प्रक्रिया और लोगों के पेशेवर समर्थन दोनों को संदर्भित करता है, जो उन्हें शक्तिहीनता और प्रभाव की कमी की भावना को दूर करने और अपने संसाधनों को पहचानने और उपयोग करने में सक्षम बनाता है।

महिला सशक्तिकरण:

भारत अपने इतिहास और संस्कृति की वजह से पूरे विश्व में एक विशेष स्थान रखता है। हमारा यह देश सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक, सैन्य शक्ति आदि में विश्व के बेहतरीन देशों में शामिल है। डॉ. अंबेडकर ने कहा था कि यदि किसी समाज की प्रगति के बारे में सही-सही जानना है तो उस समाज की स्त्रियों की स्थिति के बारे में जानो। कोई समाज कितना मजबूत हो सकता है, इसका अंदाजा इस बात से इसलिए लगाया जा सकता है क्योंकि स्त्रियाँ किसी भी समाज की आधी आबादी हैं। बिना इन्हें साथ लिए कोई भी समाज अपनी संपूर्णता में बेहतर नहीं कर सकता है। स्त्री हर संस्कृति के केंद्र में होकर भी केंद्र से दूर है। सिमोन द बोउवार का कथन है, "स्त्री पैदा नहीं होती, बनाई जाती है।" समाज अपनी आवश्यकता के अनुसार स्त्री को ढालता आया है। उसके सोचने से लेकर उसके जीवन जीने के ढंग को पुरुष अभी तक नियंत्रित करता आया है और आज भी करने की कोशिश करता रहता है। पितृसत्तात्मक समाज ने वह सब अपने अनुसार तय किया है। जब-जब सशक्तिकरण का सवाल उठता है तब-तब समाज ही कठघरे में खड़ा होता है। समाज में लगातार बदलावों के लिए संघर्ष चलता रहता है ।

महिला सशक्तिकरण का सही शब्दों में यह अर्थ होता है कि अपने स्वयं के निर्णय और अधिकार नारी खुद अपने दम पर ले सके यह ही महिला सशक्तिकरण का सही और आसान अर्थ है।

राजनीतिक अधिकारिता

सभी क्षेत्रों में और विशेष रूप से राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं का सशक्तिकरण उनकी उन्नति और लिंग-समान समाज की नींव के लिए महत्वपूर्ण है। ये समानता, विकास और शांति के लक्ष्य के केंद्र में है। आधी शताब्दी से अधिक पुराना भारतीय लोकतंत्र अगली शताब्दी में प्रवेश कर चुका है। लेकिन महिलाओं के एक बड़े समूह को अभी भी राजनीतिक क्षेत्र से बाहर रखा गया है। निर्णय लेने के विभिन्न स्तरों पर पुरुषों और महिलाओं की समान भागीदारी के बिना कोई सच्चा लोकतंत्र स्थापित नहीं हो सकता है। राजनीतिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी महिलाओं की उन्नति का अभिन्न अंग है। मानवाधिकारों की सार्वभोमिक घोषणा के अनुच्छेद-21 में कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को देश की सरकार में सीधे या स्वतंत्र रूप से चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से भाग लेने का अधिकार है। राजनीतिक मामलों में महिलाओं का उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करेगा कि उनके विचार और जरूरतें सार्वजनिक नीतियों में परिलक्षित हों जो उनके जीवन को सबसे अधिक प्रभावित करती हैं। स्वतंत्रता के बाद से भारतीय महिलाओं का संस्थागत राजनीति में बहुत कम प्रतिनिधित्व रहा है। पिछले दो दशकों में राजनीतिक संस्थानों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की दिशा में अधिक चिंता थी जिससे सशक्तिकरण हुआ। सकारात्मक कार्यवाही को राजनीतिक सशक्तिकरण के साधन के रूप में स्वीकार किया गया है। नेतृत्व न केवल शासन करने के लिए आवश्यक है बल्कि शासन की प्रकृति को बदलने के लिए भी आवश्यक है। दुर्भाग्य से, सकारात्मक कार्यवाही और महिलाओं की भागीदारी भारत में स्थानीय सरकार से आगे बढ़ने में विफल रही है।

पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की समस्याएं

किसी योजना या कार्यक्रम के नकारात्मक और सकारात्मक पहलू प्राकृतिक चीजें हैं। लेकिन महिला
सशक्तिकरण जैसे संवेदनशील मुद्धों में इन समस्याओं का पता लगाना बहुत जरूरी है। पंचायती राज संस्थाओं में महिला प्रतिनिधियों के रास्ते में ऐसी बहुत समस्याएं हैं। ऐसा लगता है कि यह महिलाओं के साथ अन्याय है कि जब तक हम ऐसी समस्याओं का समाधान नहीं कर पाते। अध्ययन के दौरान पहचानी गई कुछ मुख्य समस्याएं पंचायतों के कामकाज में राजनीतिक हस्तक्षेप हैं।

1. महिलाएं पुरुषों के लिए प्रॉक्सी यानी पितृसत्ता का काम करती हैं।
2. ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के बीच राजनीतिक जागरूकता की कमी।
3. महिलाओं की नेतृत्व क्षमता को लेकर समाज का नकारात्मक रवैया।
4. ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के बीच शिक्षा का निम्न स्तर।
5. विशेष रूप से महिला प्रतिनिधियों के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का अभाव ।

पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की समस्याओं के लिए संविधान में प्रावधान

73वें संविधान संशोधन, 1992

भारतीय संविधान में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम (73rd Amendment Act) ने एक नया भाग IX सम्मिलित किया है. इसे The Panchayats नाम से उल्लेखित किया गया और अनुच्छेद 243 से 243(0) के प्रावधान सम्मिलित किये गए, इस कानून ने संविधान में एक नयी 11 वीं अनुसूची भी जोड़ी, इसमें पंचायतों की 29 कार्यकारी विषय वस्तु हैं. इस कानून ने संविधान के 40वें अनुच्छेद को एक प्रयोगात्मक आकार दिया जिसमें कहा गया है कि "ग्राम पंचायतों को व्यवस्थित करने के लिए राज्य कदम उठाएगा और उन्हें उन आवश्यक शक्तियों और अधिकारों से विभूषित करेगा जिससे कि वे स्वयं-प्रबंधक की ईकाई की तरह कार्य करने में सक्षम हो" यह अनुच्छेद राज्य के नीति निदेशक तत्वों का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा है। इस अधिनयम ने पंचायती राज संस्थाओं को एक संवैधानिक दर्जा दिया अर्थात् इस अधिनियम के प्रावधान के अनुसार नई पंचायतीय पद्धति को अपनाने के लिए राज्य सरकार संविधान की बाध्यता के अधीन है। अतः राज्य सरकार की इच्छा पर न तो पंचायत का गठन और न ही नियमित अंतराल पर

चुनाव होना निर्भर करेगा। त्रिस्तरीय प्रणाली 73 वाँ संविधान संशोधन अधिनियम सभी राज्यों के लिए त्रिस्तरीय संस्थागत ढांचे का प्रावधान करता हैं. इसी के अनुरूप हमारे राज्य में अपनाया गया ढांचा इस प्रकार हैं।

- **स्तर- ग्राम खंड/ब्लॉक जिला**
- **निर्वाचित संस्था का नाम ग्राम पंचायत पंचायत समिति जिला परिषद**
- **निर्वाचित पदाधिकारी- सरपंच प्रधान जिला प्रमुख**

पंचायती राज संस्थाओं के कुल स्थानों में 1/3 स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया हैं। और अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात के आधार पर स्थान आरक्षित होंगे। यदि प्रदेश सरकार जरुरी समझे, तो वह अन्य पिछड़ा वर्ग को भी सीट में आरक्षण दे सकती हैं। तीनों ही स्तर पर अध्यक्ष (Chairperson) पद तक आरक्षण दिया गया है।

हरियाणा में पंचायती राज

हरियाणा भारत का एक महत्वपूर्ण राज्य है जो उत्तर भारत में स्थित है । यह राज्य अपनी समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर, कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था और ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है। हरियाणा का गठन 1 नवंबर 1966 को पंजाब राज्य के विभाजन के बाद हुआ था। विभाजन के बाद हरियाणा ने तेजी से राजनीतिक और प्रशासनिक सुधार किए। 1966 के बाद से राज्य में कई महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाएँ और बदलाव हुए, जिन्होंने राज्य के विकास और प्रशासनिक संरचना को मजबूत किया। हरियाणा में पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभिक रूप पहले से ही मौजूद था, लेकिन यह अनौपचारिक और असंगठित था। पंचायती राज अधिनियम, 1994 से पहले, गाँव के स्तर पर पंचायतें थीं जो स्थानीय प्रशासन और विवाद निपटान का कार्य करती थीं। हालांकि इन पंचायतों का कोई कानूनी या संवैधानिक आधार नहीं था, और वे पूरी तरह से पारंपरिक तरीके से संचालित होती थीं। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 के लागू होने के बाद पंचायती राज व्यवस्था को कानूनी और संवैधानिक मान्यता मिली। इससे पहले, पंचायतें ग्रामीण विकास और प्रशासन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थीं, लेकिन उनके पास सीमित अधिकार और संसाधन थे। अधिनियम के बाद, पंचायतों को अधिक अधिकार और संसाधन मिले, जिससे ग्रामीण विकास और स्थानीय प्रशासन में सुधार हुआ।

हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 का अधिनियम

73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप पंचायतों से संबंधित कानून लाने की दृष्टि से, पंजाब पंचायत समिति और जिला परिषद अधिनियम, 1961 को प्रतिस्थापित किया गया और हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 को 22 अप्रैल 1994 से लागू किया गया। हरियाणा सरकार में, पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव लड़ने वालों के लिए इस अधिनियम में निम्नलिखित शर्तों को जोड़ा गया था: -

- शिक्षा योग्यता: सामान्य उम्मीदवार के लिए 10 वीं पास, सामान्य महिला और अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए 8 वीं पास और SC महिला उम्मीदवारों के लिए 5 वीं पास।
- अभ्यर्थी के घर में कार्यरत शौचालय।
- बिजली बिल का कोई डिफाल्टर नहीं।
- सहकारी समिति के ऋण चूककर्ता।
- उम्मीदवार के खिलाफ कोई आपराधिक आरोप नहीं है।

हरियाणा पंचायती राज संशोधन, 2016

11 दिसंबर, 2015 को, सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2015 को बरकरार रखा है, जो आबादी के बड़े हिस्से को पंचायत चुनाव लड़ने से अयोग्य ठहराता है। संशोधित राज्य पंचायत राज अधिनियम ने पांच श्रेणियों के लोगों को पंचायत चुनाव लड़ने से रोका था: -

1. वे व्यक्ति जिन पर किसी ऐसे अपराध के लिए आपराधिक मामले में आरोप लगाया गया है, जिसके लिए कम से कम 10 वर्ष के कारावास की सजा दी जा सकती है।
2. जो कृषि ऋण जमा करने पर चूक गए।
3. बिजली बिलों के बकाया भुगतान वाले व्यक्ति।
4. जिनके पास न्यूनतम निर्दिष्ट शिक्षा योग्यता नहीं है।
5. जिनके आवास में शौचालय नहीं है।

इस अधिनियम के अनुसार पंचायत चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम शिक्षा योग्यता सामान्य उम्मीदवारों के लिए दसवीं कक्षा, महिलाओं और दलितों के लिए आठवीं कक्षा, दलित महिलाओं के लिए पांचवीं कक्षा है।

हरियाणा पंचायती राज संशोधन, 2020

विधानसभा द्वारा 6 नवंबर 2020 को पारित किए जा रहे हरियाणा पंचायती राज अधिनियम में संशोधन के प्रस्ताव द्वारा महिलाओं को हरियाणा के पंचायत चुनाव में 50 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। सम- विषम संख्या के आधार पर महिलाओं और पुरुषों के लिए सीटें आरक्षित होंगी। जिस गांव में महिला सरपंच चुनी जाएगी, अगली योजना में गांव में पुरुष सरपंच होगा। यह विधेयक राज्य में महिलाओं में आत्मविश्वास जगाएगा और उन्हें सशक्त बनाएगा। पहली बार सम संख्या वाले गांवों में महिला सरपंच होंगी और अगली बार विषम संख्या वाले गांवों में महिला सरपंच चुनी जाएंगी। इस तरह हरियाणा के हर दस साल में पांच गांवों में एक महिला सरपंच होगी। यह नियम आरक्षित पदों पर भी लागू होगा और उनमें भी सम-विषम अंकों के आधार पर पदों को आरक्षित किया जाएगा। इतना ही नहीं, ग्राम पंचायत के पंचों के संबंध में भी यही प्रक्रिया कायम रहेगी और पंचों के 50 प्रतिशत पद महिलाओं के लिए होंगे।

साहित्य की समीक्षा

भारत में राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं के सशक्तिकरण पर बहुत सारा साहित्य उपलब्ध है जो उनके प्रतिनिधित्व के कुछ विशेष पहलुओं को दर्शाता है जैसे कि **श्रीवल्ली (2018)** ने अपने अध्ययन में भारत के विभिन्न राज्यों में पंचायती राज संस्थाओं के अंतर्गत महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता और सशक्तिकरण का विश्लेषण किया है। इस अध्ययन में गुणात्मक और मात्रात्मक विधियों का उपयोग करके, सर्वेक्षण और साक्षात्कार के माध्यम से डाटा एकत्र किया गया है । निष्कर्षत: पंचायती राज संस्थाओं ने महिलाओं को राजनीतिक मंच प्रदान किया है, जिससे वे अपनी समस्याओं को व्यक्त कर सकती हैं और निर्णय प्रक्रिया में भाग ले सकती हैं। हालांकि, सामाजिक-सांस्कृतिक प्रतिबंध, पारिवारिक दायित्व, और पुरुष वर्चस्व जैसी चुनौतियां अभी भी महिलाओं की पूर्ण सहभागिता में बाधक हैं। आरक्षण नीति ने महिलाओं की सहभागिता को बढ़ावा दिया है, लेकिन वास्तविक सशक्तिकरण के लिए निरंतर प्रयासों की आवश्यकता है। यह अध्ययन पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से महिलाओं के सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करता है और भविष्य के अनुसंधानों के लिए एक आधार प्रस्तुत करता है । **अग्रवाल और गुप्ता (2019)** के अनुसार अगर किसी देश की महिलाओं को प्रगति के दौरान सहयोगी नहीं बनाया जाता है तो अक्सर कोई वास्तविक प्रगति नहीं होती है। पंचायती राज ढांचे पर बलवंत राय मेहता समिति ने रेखांकित किया था कि देश की महिलाओं को किसी भी तरह प्रगति के अप्रासंगिक लाभार्थी होने का सिर्फ मौका नहीं मिलना चाहिए बल्कि समर्थकों के रूप में अपने प्रयास में समान सहयोगी बनाया जाना चाहिए। **मोनी (2021)** ने अपने शोध में भारतीय पंचायत व्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी का ऐतिहासिक दृष्टिकोण से विश्लेषण किया गया है। भारतीय संविधान के 73वें संशोधन के बाद पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी अनिवार्य की गई, जिससे उनके राजनीतिक सशक्तिकरण में वृद्धि हुई। हालांकि, सामाजिक बाधाएँ, पारिवारिक दबाव, और अशिक्षा जैसी चुनौतियाँ अभी भी मौजूद हैं। महिलाओं की बढ़ती भागीदारी के कारण पंचायतों में निर्णय लेने की प्रक्रिया में सुधार हुआ है और महिलाओं के अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ी है। अंतत: यह अध्ययन महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में पंचायतों में उनकी भागीदारी की ऐतिहासिक प्रगति को उजागर करता है, साथ ही इसे और भी प्रभावी बनाने के लिए सामाजिक और शैक्षिक सुधारों की आवश्यकता पर बल देता है। **नीतू (2022)** ने अपने अध्ययन में पाया कि 2016-17 के हरियाणा पंचायती राज (पीआरआई) के चुनाव में, राज्य सरकार ने (पीआरआई) चुनाव में शिक्षा मानदंड पेश किया था। आरक्षण नीति से हजारों महिलाएँ राजनीति में शामिल होने के लिए आगे आई जिन्हें इसमें कभी शामिल नहीं होने दिया गया था। पंचायती राज के सभी स्तरों पर महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ा है। यह महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण की दिशा में एक सकारात्मक बदलाव है। महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए राजनीतिक क्षेत्र में उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करना बहुत महत्वपूर्ण है। शिक्षा का मापदंड लागू करने से पढ़े- लिखे लोगों की मांग बढ़ी है, जो लोग सामान्य वर्ग के हैं, लेकिन अशिक्षित हैं, वो भी अपनी बेटी-बहू और पत्नी के लिए नामांकन दाखिल करते हैं। इससे महिलाओं में परिणाम 33% आरक्षण की सीमा को पार कर गया। लेकिन अभी भी महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए और अधिक प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। **चोपड़ा एवं अन्य(2023)**ने अपने अध्ययन में पाया कि समावेशी और प्रभावी शासन प्राप्त करने के लिए राजनीति में महिलाओं का प्रतिनिधित्व और सशक्तिकरण बढ़ाना महत्वपूर्ण है। सांस्कृतिक बाधाओं, लिंग रूढ़िवादिता आदि को संबोधित करके, समाज एक अधिक न्यायसंगत राजनीतिक परिदृश्य बना सकता हैं। नेतृत्व विकास, शिक्षा पहुंच और नागरिक समाज की भागीदारी जैसी रणनीतियाँ महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। महिलाओं के प्रतिनिधित्व में वृद्धि के लाभों में उन्नत लोकतांत्रिक शासन और आर्थिक सशक्तिकरण शामिल हैं। अनुसुचित जाति की महिलाओं के लिए राजनीतिक सहभागिता एवं सशक्तिकरण के लिए निरंतर प्रयास आवश्यक है । **कुमार (2023)** ने अपने शोध द्वारा यह बताया कि देश की उन्नति और विकास के लिए महिलाओं का राजनीतिक सशक्तिकरण आवश्यक है। किसी देश का राजनीतिक माहौल,व्यक्तिगत लक्ष्य, और पीढ़ीगत विभाजन सभी महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण के महत्वपूर्ण पहलु पाए गए। अनुसूचित जाति की महिलाओं को अपनी योग्यता प्रदर्शित करने के लिए आवश्यक अवसर और स्थान देकर तत्काल आवश्यकता के बारे में जागरूक किया जाना चाहिए। नियमित अंतराल पर अच्छे बदलाव लाने और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए वर्तमान नीतियों और समाजवादी प्रवृत्तियों का पुनर्मूल्यांकन करना चाहिए। इसके अलावा सरकार को गैर-सरकारी संगठनों और बहुराष्ट्रीय निगमों के सहयोग से महिलाओं को समर्थन देने के लिए कई पहल शुरू करनी चाहिए। परिवार के सदस्यों, विशेष रूप से पुरुषों को अपनी महिला परिवार के सदस्यों के लिए प्रोत्साहन का एक नेटवर्क बनाने की जिम्मेदारी के बारे में जागरूक किया जाना चाहिए ताकि वे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम हो सके ।

शोध की अध्ययन पद्धति:

यह अध्ययन एक वर्णनात्मक और विश्लेषणात्मक शोध है, जो महिला प्रतिनिधियों के अनुभवों, उनकी भूमिका और उनके सामने आने वाली चुनौतियों पर केंद्रित है। अध्ययन के लिए हरियाणा के जींद जिले के 10 गांवों का चयन सुविधाजनक नमूना चयन (Convenience Sampling) विधि द्वारा किया गया। प्रत्येक गांव से महिला सरपंच, पंच, और अन्य पंचायत सदस्यों को शामिल किया गया। कुल 50 महिला प्रतिनिधियों का चयन किया गया। महिला प्रतिनिधियों के व्यक्तिगत और संरचित साक्षात्कार लिए गए, ताकि उनके अनुभवों और दृष्टिकोण को समझा जा सके। पंचायत बैठकों और निर्णय लेने की प्रक्रिया का प्रत्यक्ष अवलोकन किया गया। आंकड़ों का विश्लेषण गुणात्मक और मात्रात्मक तकनीकों के माध्यम से किया गया।

निष्कर्ष

हरियाणा के जींद जिले के 10 गांवों में पंचायती राज के माध्यम से महिला सशक्तिकरण पर आधारित यह अध्ययन दर्शाता है कि ग्रामीण शासन व्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी ने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संदर्भ में सकारात्मक बदलाव लाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पंचायती राज संस्थाओं में महिला आरक्षण ने उन्हें स्थानीय शासन में प्रवेश का अवसर प्रदान किया है, लेकिन यह प्रक्रिया कई चुनौतियों से भी घिरी हुई है। शोध में यह सामने आया कि पंचायतों में शामिल महिला प्रतिनिधियों ने अपने आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमताओं में उल्लेखनीय सुधार किया है। वे अब विभिन्न विकास परियोजनाओं, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता और जल आपूर्ति, जैसे मुद्दों पर सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। उनके प्रयासों से न केवल गांवों में बुनियादी सेवाओं की स्थिति में सुधार हुआ है, बल्कि उन्होंने महिलाओं के लिए अधिक समान अवसर और सामाजिक स्वीकृति का माहौल भी तैयार किया है।

हालांकि, अध्ययन में यह भी पता चला कि पितृसत्तात्मक सोच और सामाजिक मान्यताएं अभी भी महिला सशक्तिकरण की प्रक्रिया में बड़ी बाधा बनी हुई हैं। कई महिला प्रतिनिधियों को निर्णय लेने की प्रक्रिया में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उनके पति या परिवार के अन्य पुरुष सदस्य उनके काम में हस्तक्षेप करते हैं। इसे "प्रॉक्सी प्रतिनिधित्व" के रूप में देखा गया, जो उनके वास्तविक सशक्तिकरण को सीमित करता है। इसके अतिरिक्त, महिलाओं में शिक्षा और प्रशिक्षण की कमी भी उनके प्रभावी नेतृत्व में बाधक साबित होती है। निष्कर्षत: पंचायती राज प्रणाली महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में एक सशक्त मंच प्रदान करती है, लेकिन इसे अधिक प्रभावी बनाने के लिए बहुआयामी प्रयासों की आवश्यकता है। नीति स्तर पर सुधार, व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम, और सामाजिक जागरूकता अभियान इस दिशा में महत्वपूर्ण हो सकते हैं। महिलाओं को परिवार और समाज से समर्थन मिलने के साथ-साथ उनकी क्षमताओं पर विश्वास जताने की आवश्यकता है। यह न केवल उनके व्यक्तिगत विकास को प्रोत्साहित करेगा बल्कि समाज के समग्र विकास में भी योगदान देगा।

महिलाओं की बढ़ती भागीदारी और प्रभावशीलता इस बात का प्रमाण है कि यदि उन्हें सही अवसर और संसाधन प्रदान किए जाएं, तो वे ग्रामीण शासन में एक नया दृष्टिकोण और सकारात्मक बदलाव ला सकती हैं। पंचायती राज में महिला सशक्तिकरण की यह पहल भारतीय समाज में लैंगिक समानता को और मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

ACKNOWLEDGEMENT

None.

CONFLICT OF INTEREST

None.

ग्रंथ सूची

Jayalakshmi, K. (2000). Rural women's development: Corporation vis- a-vis local institutions in Karnataka, Women's Link 6(2), 19-23, April.

आर्य, मेनन, एवं लोकनीता (2001). " नारीवादी राजनीति : संघर्ष एवं मुद्दे" हिन्दी माध्यम कार्यान्वय निदेशालय, दिल्ली विश्वविधालय पृ. 20-48।

Palanthurai, G. (2001). The Genre of Women leaders in local bodies: Experience from Tamil Nadu, Indian Journal of public Administration.

Singh, S. (2002). Women Panchayati Raj Representative - Study of Districts in Haryana, HIRD Nilokheri.

Patnaik, P. (2005). "Affirmative Action and Representation of Weaker Sections: Participation and Accountability in Orissa's Panchayats", Economic and Political Weekly, October 29: 4753-4761.

Misra, J. K. (2006). EMPOWERMENT OF WOMEN IN INDIA. The Indian Journal of Political Science, 67(4), 867–878. http://www.jstor.org/stable/41856270

वालसम्मा एं. (2006). "शिक्षा और सशक्तिकरण" महिला सशक्तिकरण की कुंजी है, कुरूक्षेत्र, फरवरी, पृ.24।

Rounaq, J. (2007). "Women in South Asian Politics", Mainstream, Vol. XXV, No. 48.
जे.ए. रूबी (2008). "माइक्रो फाइनेंस और महिला सशक्तिकरण" केरला प्रोजेक्ट का अध्ययन, पृ.27,28 ।
Khanna, M. (2009). POLITICAL PARTICIPATION OF WOMEN IN INDIA. The Indian Journal of Political Science, 70(1), 55–64. http://www.jstor.org/stable/41856495.
Bhavnani, R. (2009). "Do Electoral Quotas Work After They Are Withdrawn? Evidence from a Natural Experiment in India." American Political Science Review 103 (1).
विप्लव (2010). "भारत में महिला मानवाधिकार" के. के. पब्लिकेशन, नई दिल्ली पृष्ठ 18-38 ।
भारत सरकार जनगणना रिपोर्ट 2011.
International Centre for Research on Women (UN) Report (2012) on Opportunities and Challenges of Women's Political Participation in India A Synthesis of Research Findings from Select Districts in India.
Kumar, K. A., & Jyothsna, K. Y. (2016). EMPOWERMENT OF WOMEN THROUGH PANCHAYATI RAJ. The Indian Journal of Political Science, 77(4), 437–444. https://www.jstor.org/stable/26534927
Naik, B. (2016). Empowerment of Women through the Panchayati Raj Institutions in India.
Srivalli, K. (2018). Empowerment to Women through Political Participation: A Study of Panchayati Raj Institutions in India. International Journal of Research in Social Sciences, Vol. 8 Issue 5, ISSN: 2249-2496.
Agarwal V. & Gupta S. (2019). "Increasing Role of Women in Panchayti Raj in Haryana" IOSR Journal Of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS) Volume 23, Issue 9, Ver. 1 (September. 2018) 82-85 e-ISSN: 2279-0837, p-ISSN: 2279-0845. www.iosrjournals.org
Moni, T. (2021). Participation of Women in Panchayati Raj: A Historical Perspective. Shanlax International Journal of Arts, Science and Humanities. 8. 61-69. 10.34293/sijash.v8i4.3728.
नागला बी. के. (2021). "भारतीय समजशास्त्रीय चिंतन" रावत पब्लिकेशन पृ.277-312।
Neetu (2022). "Political Empowerment of Women In Haryana Panchayati Raj Institutions" IJCRT, Volume 10, Issue 8
Ravikumar, K. (2023). Women empowerment: Dynamic and political process. International Journal of Political Science and Governance, 5(2), 27 32.https://doi.org/10.33545/26646021.2023.v5.128.254
Goswami, I. & Chopra, R & Sivakumar, V. (2023). Gender And Politics: Examining Women's Representation And Empowerment. 33. 1980-1994.

http://thechallenge.org.in/documents/WOMEN_EMPOWERMENT.pdf.
http://www.cdhr.org.in/womens-empowerment/womens-empowerment-through-panchayati-raj/
http://www.iipa.org.in/New%20Folder/4--Simmi.pdf
secharyana.gov.in/html/handbookpanc.htm